न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : स्वदीप सिंह,
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 370–पीबीआर/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 16–1–2014 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, लश्कर, ग्वालियर प्रकरण कमांक 02/2013–14 पुनर्विलोकन.

.....

हरीसिंह कुशवाह पुत्र काशीराम कुशवाह
निवासी ग्राम अजयपुर
तहसील व जिला ग्वालियर .....आवेदक

विरूद्ध

1– अमरसिंह उर्फ बच्चूसिंह पुत्र स्व. श्री काशीराम कुशवाह
2– मानसिंह पुत्र स्व. श्री काशीराम कुशवाह
3– श्रीमती राजो पुत्री स्व. श्री काशीराम कुशवाह
निवासीगण ग्राम अजयपुर
तहसील व जिला ग्वालियर .....अनावेदकगण

श्री जगदीश श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदक

:: आ दे श ::

(पारित दिनांक 11 अप्रैल, 2014)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी, लश्कर ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–1–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसीलदार, ग्वालियर द्वारा दिनांक 12–11–2013 को इस आशय का प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी, लश्कर ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत किया गया कि आवेदक हरीसिंह द्वारा संहिता की धारा 109/110 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर ग्राम अजयपुर स्थित भूमि सर्वे कमांक 804 मिन रकबा 0.136

हेक्टयर एवं सर्वे क्रमांक 805 रकबा 0.031 हेक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.167 हेक्टेयर पर वसीयत के आधार पर नामांतरण चाहा गया है । तहसील न्यायालय द्वारा नामांतरण पंजी क्रमांक 41 दिनांक 27–6–2013 पर पारित आदेश दिनांक 16–7–2013 से मृतक काशीराम के स्थान पर अनावेदकगण के पक्ष में वारिसाना नामांतरण स्वीकार किया गया है, जबकि इस न्यायालय में वसीयत के आधार पर प्रकरण क्रमांक 49/2012–13/अ–6 प्रचलित है, अतः प्रकरण प्रचलन रहने के दौरान पंजी पर किए गए नामांतरण को पुनर्विलोकन में लिया जाना उचित प्रतीत होता है । अतः उक्त आदेश को निरस्त करने के लिए संहिता की धारा 51 के तहत पुनर्विलोकन में लिये जाने हेतु अनुमति प्रदान की जाये । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 16–1–2014 को आदेश पारित कर इस निष्कर्ष के साथ पुनर्विलोकन की अनुमति निरस्त की गई कि आवेदक द्वारा वसीयत के आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पूर्व ही दिनांक 16–7–2013 को वारिसाना नामांतरण हो चुका है, और उक्त आदेश अंतिम हो चुका है, पक्षकार चाहे तो सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से केवल यही तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में आवेदक के पक्ष में वसीयतनामा है, और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पुनर्विलोकन की अनुमति निरस्त करने में आवेदक को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है ।

4/ अनावेदकगण के सूचना उपरांत भी अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा दिनांक 6–9–2013 को प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है एवं आगामी पेशी दिनांक 20–9–2013 नियत की गई है, जबकि नामांतरण पंजी पर वारिसाना नामांतरण का आदेश दिनांक 16–7–2013 को प्रमाणित किया गया है । स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा वसीयतनामा के आधार पर प्रस्तुत आवेदन पत्र के पूर्व ही वारिसाना नामांतरण हो चुका है । ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पुनर्विलोकन की अनुमति नहीं देने में किसी प्रकार की कोई

अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक को सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने की लिबर्टी दी गई है, अतः यदि तहसीलदार द्वारा पारित वारिसाना नामांतरण आदेश दिनांक 16–7–2013 से आवेदक व्यथित है तो वह सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर सकता है । इस संबंध में आवेदक के विद्वान अभिभाषक का यह तर्क मान्य किए जाने योग्य नहीं है कि पुनर्विलोकन की अनुमति निरस्त करने में आवेदक को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है, क्योंकि आवेदक के अभिभाषक द्वारा इस न्यायालय में यह नहीं बतलाया जा सका है कि उसे पुनर्विलोकन की अनुमति में नहीं सुने जाने से उसके साथ तथ्यतः अन्याय क्या हुआ है । उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी, लश्कर ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–1–2014 स्थिर रखा जाता है। निगरानी निरस्त की जाती है ।

(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर